

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक.....1666.....

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
जमशेदपुर ।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर ।

दिनांक.....05....., अक्टूबर, सितम्बर 2023

विषय : Plot No. 4478, Khata No. 4, Thana No. 1200, Mouza-Moharda, जमशेदपुर के भूखण्ड पर श्री प्रमोद प्रसाद द्वारा धारित भूमि के सत्यापन के संबंध में

प्रसंग : आपका पत्रांक 3141 दिनांक 22.09.2023 ।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातों के आधार पर जाँच कराया गया । जाँचोपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार मौजा-मोहरदा, थाना नं०-1200 अन्तर्गत खाता नं०-4 का विन्दुवार निम्न प्रकार है :-

1. जमाबंदी रैयत सी.एन.टी. एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत नहीं है ।
2. विषयगत भूमि सरकारी खाते की भूमि नहीं है ।
3. विषयगत भूमि किसी विभाग द्वारा अधिग्रहित या लैण्ड सिलिंग के अन्तर्गत है या नहीं ? इसकी जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।
4. जमाबंदी का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	जमाबंदी रैयत का नाम	भाग-पृष्ठ
1	4	4478	6.6 Decimal	Pramod Prasad, S/o Baijnath Prasad Mutation Case No. 15/2004-05	1-73

5. खतियान की विवरणी : आवेदित भूमि साविक सर्वे खतियान के अनुसार कांदरा गौड़, पिता जोगेश्वर गौड़ के नाम पर दर्ज है, जो सी.एन.टी. एक्ट के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन

24-26.09.23

अंचल अधिकारी
जमशेदपुर